फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

शंकरलाल पिता गोटूलाल पालीवाल

बनाम

श्रीमति भगवती पत्नि कन्हैया लाल शर्मा वगैरा

प्रकरण संख्या 34/2016 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार अनुपस्थित। अधिवक्ता गैर निगराकार उपस्थित। रूक–रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। निगराकार तथा उसके अधिवक्ता लम्बे समय से प्रकरण में अनुपस्थित चल रहे हैं अधिवक्ता निगराकार को लगातार अनुपस्थित रहने से दिनांक 21.09.2022 को न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जा चुका है फिर भी वे उपस्थित नहीं हुए हैं। अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	